न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–197/08 (आरसीएमएस नं. 20108/00021)

1. रामनिवास,
2. ख्याली,
3. बलबीर,
4. बलराम,
5. घनश्याम पुत्रान श्री मंगला,
6. बदामी देवी बेवा मंगला, समस्त जाति मालियान निवासीयान मौहल्ला बूचाहेड़ा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर, राजस्थान।
7. लक्ष्मी पुत्री श्री मंगला पत्नी श्री रामसिंह सैनी,
8. कमला पुत्री मंगला पत्नी रघुवीर, समस्त जाति माली हाल निवासीयान रामपुर तहसील बानसूर जिला अलवर।
9. बिल्लो पुत्री मंगला, जाति माली, निवासी नारायणपुर, तहसील थानागाजी, जिला अलवर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. उमराव पुत्र मंगला, जाति माली, निवासी मौहल्ला बूचाहेड़ा, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 11.09.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय अति. जिलाधीश कोटपूतली जिला जयपुर के आदेश दिनांक 29.09.2008 (प्रकरण संख्या 21/2008) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दू की ओर कतई ध्यान नही दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एक ओर तो स्वयं को मंगला का पुत्र बताता है तथा दूसरी ओर स्वयं को विरासत के नामान्तकरण की जानकारी होना नही बता रहा है जबकि वास्तविकता यह है कि उसे प्रारम्भ से ही अपनी पिता की मृत्यु की जानकारी थी तथा नामान्तरकरण संख्या 687 दिनांक 05.09.2001 के बारे में स्वयं रेस्पोडेनट ने दिनांक 26.10.007 को एफ. आई.आर. दर्ज कराई थी जिस पर दिनांक 04.12.2007 को एफ.आर. अंतिम रिपोर्ट भी पुलिस थाने से लग चुकी है अर्थात उस वक्त नामान्तरकरण की जानकारी वर्ष 2007 में हो चुकी थी फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रथम अपील दिनांक 20.02.2008 के स्पष्ट रूप से मियाद बाहर पेश की थी जिसे अन्दर मियाद मानकर अपील स्वीकार करने में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गंभीर कानूनी भूल की है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 से 133 में कर्तव्य था कि वह स्वयं के पिता की मृत्यु के पश्चात् नामान्तरकरण की कार्यवाही करता लेकिन उसने ऐसी कोई कार्यवाही नही की और न ही वह स्वयं को मृतक मंगला का पुत्र साबित कर सका है फिर भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की मियाद बाहर अपील स्वीकार करने में गंभीर कानूनी भूल की है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रथम अपील के साथ विलम्ब क्षमा कराने के प्रार्थना पत्र धारा 5 में कही भी जानकारी की तारीख व स्रोत (सोर्स ऑफ नॉलेज) का वर्णत नही किया है, फिर भी ऐसे वेग एवं अस्पष्ट प्रर्थना पत्र को स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की प्रथम अपील स्वीकार करने में गंभीर कानूनी भूल की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वयं को मृतक मंगल का पुत्र बताता है तो उसे स्वयं के उत्तराधिकार एवं विवादित भूमि में अधिकार नियमित सिविल या राजस्व वाद के माध्यम से तय कराने चाहिये क्योंकि नामान्तरकरण की कार्यवाही तो एक समरी प्रोसिडिंग है जिसमे वह अपने हक अधिकार तय नही करा सकता है इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पूर्णतया कानून के विपरित होने से पूर्णतया निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.09.2008 को निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 687 दिनांक 05.09.001 को बहाल किया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा ना ही उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस पेश की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न वोटर कार्ड, परिवार राशन कार्ड, की छाया प्रतियों को अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उमराव के पिता का नाम मंगला दर्ज है तथा पुलिस अनुसंधान के दौरान दिये गये बयादि की छाया प्रतियों के अवलोकन से भी जाहिर होता है कि मंगला द्वारा दो शादीयां की गई तथा प्रथम पत्नी से पुत्र उपराव उत्पन्न हुआ है जिससे प्रथम दृष्टया रेस्पोडेन्ट उमराव मंगला का पुत्र साबित होता है किन्तु अधीनस्थ तहसीलदार कोटपूतली द्वारा मंगला की विरासत के नामान्तरकरण की कार्यवाही के दौरान मंगला के वारिसान की विस्तृत जॉच किये बिना ही नामान्तरकरण संख्या 687 तस्दीक किया गया है जिसे उचित ठहराने के ठोस कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नही थे। चूँकि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.09.2008 द्वारा प्रकरण तहसीलदार को सभी प्रभावित पक्षकरान को सूचित कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर तथ्यों की जॉच कर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स अधीनस्थ

संभागीय आयुक्त
जयपुर

तहसीलदार कोटपूतली के समक्ष अपने पक्ष रखकर चाराजोही कर सकते है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.09.2008 में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.09.2008 को यथावत रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 11.09.019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।